



**University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi 110002**

F-1-2/2009(EC/PS)pt.II

March, 2011

To

The Under Secretary
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Shastry Bhawan
New Delhi-110001

16 MAR 2011

Subject: UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education, (1st Amendment) Regulations-2011.

Sir,

In continuation of this office letter of even No dated 1st March, 2011 on the above subject, I am directed to enclose a copy of the Hindi Version of the first amendment Regulations-2011 to UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education, 2010, which is being sent to the Manager, Government of India Press, Civil Lines, Delhi for publication in the Gazette of India.

Yours faithfully,

**(B.K.Singh)
Deputy Secretary**

Encl: As above.

Copy to:

1. The Publication Officer, UGC, for posting it on UGC Website

**B.K. Singh
(B.K.Singh)
Deputy Secretary**

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ कर नियुक्ति के लिए एवं उच्च शिक्षण के रख-रखाव एवं मानकों 2010 (प्रथम संशोधन) नियमन 2011, के उपायों से जुड़े विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमन—

जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है

खण्ड-III अनुभाग-4

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002

मि.सं. 1-2 / 2009(ई.सी. / पी.एस.) भाग-II

फरवरी, 2011

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) की धारा (ई)एवं (जी) की उप-अनुभाग (1)जो अधिकार प्रदत्त किये गए हैं, तदनुसार आयोग द्वारा निम्न नियमनों का सृजन किया गया है जिनके द्वारा ऐसे नियमनों का संशोधन किया जाना है जो नियमन, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्तियों के लिए एवं उच्च शिक्षण-2010 में मानकों के रख-रखाव के लिए विहित किए गए हैं— निम्न रूप से जाने जायेंगे—

2. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग एवं समारप्त :

- I. यह सभी नियमन इस नाम से जाने जायेंगे—विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियाँ तथा उच्च शिक्षण के रख रखाव (प्रथम संशोधन) नियमन-2011
- II. यह सभी नियमन इन सभी को लागू होंगे—किसी भी केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत अथवा राज्यीय अधिनियम या राज्यों के अधिनियम अनुसार स्थापित विश्वविद्यालय, प्रत्येक संस्थान, जिसमें ऐसे आंगिक अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें कि आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो मान्यता यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा (एफ) के अन्तर्गत सम्मिलित है—व इसके साथ ही ऐसा प्रत्येक संस्थान जो सम विश्वविद्यालय के रूप में

उपरोक्त अधिनियम के अनुभाग 3 के अन्तर्गत सम्मिलित है— वह भी इन नियमनों में सम्मिलित होगा।

III. यह सभी नियमन तुरंत प्रभावी रूप से लागू माने जायेंगे।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिपादित न्यूनतम अर्हताएं जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्तियों के लिए तथा उच्च शिक्षण 2010 के रख-रखाव के उपायों के लिए जैसे भी निम्न अनुच्छेद जहाँ भी प्रयुक्त होता है :—

“ पे बैण्ड-4(रु.37400—76000) ग्रेड पे के साथ—जो कि रु.12000 प्रतिमाह है”
उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :—

“ पे बैण्ड-4 (रु. 37400—6700) ग्रेड पे के साथ और रु.12000 प्रतिमाह को प्रतिस्थापित किया गया है—नये HAG वेतनमान जो रु. 67000 का है (वार्षिक वेतन वृद्धि @3%) रु. 79000 बिना ग्रेड पे के।

4. रुपये 12000 प्रतिमाह का ए.जी.पी. अभी और अधिक अस्तित्व में नहीं है। उपरोक्त वेतनमान को प्राप्त करने के लिए जो पात्रता की शर्तें है—वे वैसी ही रहेगी। वैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इसी समय वाले पदों का 10% प्रतिशत उच्चतमांक तथा मूल्यांकन करने के उद्देश्य से जिस मानदण्डों को पात्रता एवं निष्पादन के लिए स्थापित किया गया है—वह अपरिवर्तित बना रहेगा।

सेवा में,

सहायक नियंत्रक,
प्रकाशक प्रभाग,
भारत सरकार,
शहरी विकास मंत्रालय,
सिविल लाइन
दिल्ली—110054

८८.८. का०.८८०

(एन.ए.काजमी)
सचिव